निदेशालय,बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,उ0प्र0,लखनऊ।

पत्र सं0 C-1799 /बा0वि0परि0/स्था0–4/2016–17 दिनांक 02, **नवम्बर,2016**

समस्त ज़िला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी
उत्तर प्रदेश।

विषयः– आंगनबाड़ी कार्यकत्री/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिका के अतिरिक्त मानदेय में वृद्वि के संबंध में।

उर्पयुक्त विषयक शासन के पत्र सं0–2655/60–2–16–2/1 (22) 10 दिनांक 28.10.2016 के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकत्रीं/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रीं/आंगनबाड़ी सहायिका के अतिरिक्त मानदेय में दिनांक 01.10.2016 से निम्नानुसार वृद्वि किये जाने के निर्देश दिये हैः–

(1) आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को रू0–3000.00 प्रतिमाह (जिसमें 60 प्रतिशत केन्द्रांश व 40 प्रतिशत राज्यांश शामिल है) के अतिरिक्त दिये जा रहे मानदेय में रू0–200.00 के स्थान पर रू0–800.00 की वृद्वि करते हुए अब रू0–1000.00 प्रतिमाह अतिरिक्त मानदेय के रूप में अर्थात कुल रूपये–4000.00 प्रतिमाह मानदेय दिया जायेगा।

(2) मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों जिनको पूर्व में राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त मानदेय नही दिया जाता है एवं रू0–2250.00 प्रतिमाह (जिसमें 60 प्रतिशत केन्द्रांश व 40 प्रतिशत राज्यांश शामिल है) दिया जाता था,उन्हे रू0–750.00 प्रतिमाह अतिरिक्त मानदेय के रूप में अर्थात कुल रू0–3000.00 प्रतिमाह मानदेय दिया जायेगा।

(3) आंगनबाड़ी सहायिकाओं को रू0–1500.00 प्रतिमाह (जिसमें 60 प्रतिशत केन्द्रांश व 40 प्रतिशत राज्यांश शामिल है) के अतिरिक्त दिये जा रहे मानदेय में रू0–100.00 के स्थान पर रू0–400.00 की वृद्वि करते हुए अब रू0–500.00 प्रतिमाह अतिरिक्त मानदेय के रूप में अर्थात कुल रूपये–2000.00 प्रतिमाह मानदेय दिया जायेगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों व आंगनबाड़ी सहायिकाओं को बढ़ी हुई दर पर मानदेय भुगतान की नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक।

पृष्ठांकन सं0– /तद्दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

(1) विशेष सचिव,महिला एवं बाल विकास अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन को पत्र सं0–2655/60–2–16–2/1(22)10 दिनांक 28.10.2016 के क्रम में।

(2) अपर निदेशक (वित्त) मुख्यालय।

(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक।